

श्रम कानून के अनुच्छेद 25-B के तहत आवश्यक सूचना

सभी कर्मचारी, ठेकेदार और उपठेकेदार कृपया ध्यान दें: आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेयर प्ले एक्ट के अंतर्गत आते हैं

कानून कहता है कि आप तब तक कर्मचारी हैं जब तक:

- आप अपना काम करने में निर्देश और नियंत्रण से मुक्त न हों, और
- आप ऐसा काम न करें जो आपको काम पर रखने वाले व्यवसाय द्वारा किए जाने वाले सामान्य काम का हिस्सा न हो, और
- और आपका स्वतंत्र रूप से स्थापित व्यवसाय न हो।

आपका नियोक्ता आपको तब तक स्वतंत्र ठेकेदार नहीं मान सकता जब तक कि ये तीनों तथ्य आपके काम पर लागू न होते हों।

किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करना या कर्मचारियों को भुगतान न करना कानून के विरुद्ध है।

कर्मचारी के अधिकार: यदि आप कर्मचारी हैं, तो आप राज्य और संघीय कर्मचारी सुरक्षा के हकदार हैं। इनमें शामिल हैं:

- बेरोजगारी बीमा लाभ, यदि आप बिना किसी गलती के बेरोजगार हैं, काम करने में सक्षम हैं, और अन्यथा योग्य हैं,
- कार्यस्थल पर लगी चोटों के लिए श्रमिकों को मुआवजा लाभ,
- अर्जित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी और ओवरटाइम (कुछ शर्तों के तहत) के लिए भुगतान,
- सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं पर प्रचलित मजदूरी,
- राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम के प्रावधान, और
- सुरक्षित कार्य वातावरण।

नियोक्ताओं द्वारा कानून के तहत अपने अधिकारों का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध लेना इस कानून का उल्लंघन है। प्रतिशोध के कारण नियोक्ता को सिविल दंड, निजी मुकदमा या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

स्वतंत्र ठेकेदार: यदि आप एक स्वतंत्र ठेकेदार हैं, तो आपको न्यूयॉर्क राज्य और संघीय कानून द्वारा आवश्यक सभी करों और बेरोजगारी बीमा अंशदान का भुगतान करना होगा।

श्रमिकों को गैर-कानूनी तरीके से भुगतान करने या कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में अनुचित व्यवहार करने पर दंड:

- **सिविल दंड** पहला अपराध: प्रति कर्मचारी \$2,500 तक
बाद के अपराध: प्रति कर्मचारी \$5,000 तक
- **आपराधिक दंड** पहला अपराध: दुष्कर्म - 30 दिन तक की जेल, \$25,000 तक का जुर्माना तथा एक वर्ष तक के लिए सार्वजनिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
इसके बाद के अपराध: दुष्कर्म - 60 दिन तक की जेल या 50,000 डॉलर तक का जुर्माना और 5 साल तक के लिए सार्वजनिक कार्य करने पर प्रतिबंध।

यदि आपके पास अपनी रोजगार स्थिति को लेकर प्रश्न हैं या आपको लगता है कि आपके नियोक्ता ने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है और आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो श्रम विभाग को (866) 435-1499 पर कॉल करें या dol.misclassified@labor.ny.gov पर ईमेल भेजें। धोखाधड़ी और उल्लंघन की सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। आप गुमनाम रह सकते हैं।

नियोक्ता का नाम: _____